

बीरबल राम बनाम स्टेट  
प्रकरण संख्या 271/2025 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
18.9.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाए फरिक्कैन उपस्थित। स्टेट जबाब प्राप्त हुआ। वकूलाए फरिक्कैन की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि वादी का सही नाम बीरबल राम पुत्र राजू राम है। अतः वाद वादी डिकी करते हुए रोही मौजा चान्देड़ी बड़ी के खाता सं. 121/109 के ख.नं. 704/225 की 2.298 है., रोही मौजा मायला के खाता सं. 199/194 के ख.नं. 114 की 2.366 है., 96 की 0.847 है., 97/1 की 2.760 है. कुल 5.973 है. भूमि में दर्ज वादी का नाम बीरबल पुत्र राजू के स्थान पर बीरबल राम पुत्र राजू राम दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश आज दिनांक 18/9/2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।</p>	

